495

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: । २०१८ निगरानी
निगरानी - 4666/2018/भिण्ड/भू.रा.

प्र० क्र० ...... दि. 13-7-18 को प्रारंभिक तर्क हेतु 9-8-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

१- मुरलीधर पुत्र रामचरन,

२- लाखन ।
 । पुत्रगण मुरलीधर
३- संतोष ।

४- राधाकिशन पुत्र रामचरन,

निवासीगण- ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्राथीगण

बिरुध्द

१- हरीओम पुत्र रामचरन प्रजापति,
निवासी- ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिन्ड-मध्यप्रदेश ।

२- भागवती पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासिन- इटावा रोड, भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

-----तरतीवी प्रतिप्रा

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय भिन्ड दिनांक १४-६-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ०७।१७-१८-अपील

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारोंपर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक न्यायालय के आदेश दिनांकी १०-२-०७ के बिरुध्द एक लम्बी अवध पश्चात ...

XXIX(a)-BR(H)-11

495

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4666/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	